

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा मुंगेली छ0ग0

क्र0/ 432 / पीएमश्री/ खेल-संगीत शिक्षक/ 2026-27

मुंगेली, दिनांक 24/09/26

// विज्ञापन //

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0, रायपुर के पत्र क्र0/823/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2026 रायपुर दिनांक 05/06/2026 एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. का पत्र क्रमांक/1345/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2026/रायपुर दिनांक 25.06.2026 के निर्देशानुसार जिले में संचालित 8 पीएमश्री विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए अंशकालीन योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक तथा संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिया जाना है, सेवाएं अधिकतम 31 मार्च 2027 तक के लिए होंगी, इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 08/10/2026 को शाम 05:00 तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा मुंगेली (कक्ष क्रमांक 210) कलेक्टोरेट परिसर मुंगेली में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालय जिनमें योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक तथा संगीत प्रशिक्षक की स्वीकृत पदों की जानकारी :-

क्र	विकासखंड	विद्यालय का नाम	खेल/ योगा प्रशिक्षक / हेतु स्वीकृत पद	म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हेतु स्वीकृत पद
1	पथरिया	पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला साहु मोहल्ला सरगांव	1 (अना.)	1 (अना.)
2	पथरिया	पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला किरना	1 (अना.)	1 (अना.)
3	मुंगेली	पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला सोढार	1 (अना.)	1 (अना.)
4	लोरमी	पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला महामाया वार्ड लोरमी	1 (अना.)	1 (अना.)
5	लोरमी	पीएमश्री शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय शाला बंधवा	1 (अना.)	1 (अना.)
6	पथरिया	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला पथरिया	1 (अना.)	1 (अना.)
7	मुंगेली	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शाला दाऊपारा	1 (अना.)	1 (अना.)
8	मुंगेली	पीएमश्री शास बी आर साव उत्कृष्ट हिंदी माध्यम शाला मुंगेली	1 (अना.)	1 (अना.)

❖ अंशकालीन योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं :-

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.)/योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री।

❖ अंशकालीन संगीत प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं :-

01. अंशकालीन संगीत प्रशिक्षक हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अनिवार्य है।

❖ नियम एवं शर्तें :-

01. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। (स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जायेगा)

02. आवेदक को प्रत्येक पीएमश्री स्कूल हेतु पृथक-पृथक आवेदन, पृथक-पृथक लिफाफे में करना होगा। एक विद्यालय हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम प्राप्त आवेदन को सही मानते हुये शेष आवेदन को निरस्त माना जायेगा।

03. स्वीकृत 01 पद पृथक-पृथक प्रत्येक पीएमश्री विद्यालयों में होने के कारण अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।

- 04 कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार सेवा प्रदत्त योग/खेल शिक्षक/संगीत प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार मात्र) देय होगा।
- 05 कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2027 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय राज्य कार्यालय द्वारा आबंटन प्राप्त होने पर कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा मुंगेली द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा निश्चित अवधि की समाप्ति पर सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- 06 कार्य पर रखा जाना पूर्णतः अस्थायी होगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर चयनित उम्मीदवार को बिना कारण बताये कभी भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
- 07 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।
- 08 अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से रखे गये उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
- 09 चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र, प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना होगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- 10 टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्तों की पात्रता नहीं होगी।
- 11 एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
- 12 कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित/कार्यरत्न व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक् करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

❖ आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदक को लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पीएमश्री शाला का नाम एवं पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा मुंगेली(कक्ष क्रमांक 210), कलेक्टोरेट परिसर मुंगेली में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होगी। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
3. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
4. संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम में संलग्न करेंगे।
5. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होनी चाहिए।
6. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
7. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 08.10.2026 को शाम 05:00 बजे तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा मुंगेली (कक्ष क्रमांक 210), कलेक्टोरेट परिसर मुंगेली में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

❖ चयन प्रक्रिया :-

1. चयन अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/संगीत प्रशिक्षकों का चयन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्राप्तांकों का 25-25 प्रतिशत वेटेज एवं शारीरिक शिक्षा या योगा शिक्षा तथा संगीत में स्थातक की डिग्री या समकक्ष में स्नातक डिग्री का 50% वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।
2. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
3. मेरिट के आधार पर प्रत्येक पीएमश्री विद्यालयों हेतु विज्ञापित पद के विरुद्ध अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
4. प्राप्त आवेदनों के छानबीन पश्चात् पात्र एवं अपात्र आवेदनो की सूची जारी कर दावा आपत्ति हेतु 4 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। दावा आपत्ति पर अंतिम निर्णय समिति का होगा।
5. स्कूलवार आवेदन अनुसार दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर चयनित पीएमश्री स्कूल जिसके लिये अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
6. सेवा में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराया जायेगा। परीक्षण एवं सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

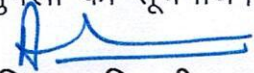
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा मुंगेली
मुंगेली, दिनांक 26/09/26

पृ0क्र0 / 433 / पीएमश्री / खेल-संगीत शिक्षक / 2026-27

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला मुंगेली को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिला मुंगेली की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, जिला मुंगेली को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञापन को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जिला मुंगेली को सूचनार्थ।
8. सर्व संबंधित प्राचार्य/प्रधानपाठक पीएमश्री विद्यालय जिला मुंगेली को सूचनार्थ।


जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा मुंगेली

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक,
समग्र शिक्षा
जिला – मुंगेली छ.ग.

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
फोटो

आवेदित शाला का नाम.....

विकासखण्ड.....

1. आवेदित पद का नाम –(योग/खेल शिक्षक या संगीत प्रशिक्षक)
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) –
आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में)
केपिटल लेटर में –
3. पिता/पति का नाम –
4. अ. जन्म तिथि (अंको में) –
ब. जन्म तिथि (शब्दों में) –
स. दिनांक 01.01.2026 को – आयु.....वर्ष.....माह.....दिन.....
द. आयु सीमा में छूट चाहते हैं हां/नहीं
इ. आयु सीमा में छूट का आधार –
5. लिंग (पुरुष/महिला) –
6. शैक्षणिक योग्यता –

क्रं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हाई स्कूल/दसवीं					
2	हायर सेकेण्डरी/बारहवीं					
3	स्नातक					
4						
5						

7. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान हां/नहीं –
8. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता –
दूरभाष नं. सहित
9. स्थायी पता –
.....
.....
.....

10. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा —
/अपिव के सदस्य है यदि है तो जाति
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
11. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है
यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल
निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न
करें। —
12. क्या आवेदक विकलांग है। यदि हां तो
विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें —
13. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत —
14. पीएमश्री विद्यालय में योग/खेल शिक्षक या संगीत प्रशिक्षक का अनुभव —.....
हाँ/नहीं (अनुभव प्रमाण पत्र/नियुक्ति आदेश की छायाप्रति)
15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची —
- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |
| 7..... | 8..... |

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम
मोबाईल नं.

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य है यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/उम्मीदवारी निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर